FORM NO. III

फर्दअहकाम

(नियम 26)

2025/13/ order

अजअदालत ......उपखण्ड अधिकारी ......मुकाम ....तालेडा जिला बून्दी राजस्थान ....

गन्दीलाल आ0 रामसुख जाति माली.......... बनाम ....बद्रीलाल आ0 रामसुख जाति माली ....

किस्मुकदमा ......प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी.....नं. ...21....सन् .....2025....

तारीख हुक्म	हुक्म याकार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकामजो इस हुक्म की तामीलमेंजारीहुए
30.04.2025	प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का वाद दिनांक 16.074.2024 को वादी के वकील द्वारा नोट प्रेस किये जाने के कारण वाद कारण समाप्त हो जाने के कारण वाद को खारिज कर दिया गया है। पक्षकारान् के मध्य आपस में कोई समझाइश नही हुई है न ही कोई राजीनामा हुआ है और न ही राजीनामे को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। वादीगण की ओर से नियुक्त अधिवक्ता द्वारा वाद को नोट प्रेस कर दिया और वाद को खारिज करवा लिया गया। प्रकरण में गम्भीर प्रश्न विचाराधीन है जिनका गुणावगुण पर ही निर्णय किया जाना सम्भव है इस कारण से उक्त वाद को पुनः नम्बर पर लिया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई एवं प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो एवं मुल वाद का अवलोकन किया गया । मुलवाद प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा नोट प्रेस किया गया है। प्रकरण साक्ष्यवादी में जेरकार है। जिसका गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित कर पक्षकारान् को राहत प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर मूलवाद सं0 59/दावा/2020 को पुनः दर्ज रजिस्टर किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। वाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र मुल वाद के संलग्न हो।	